

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-II में प्रकाशनाथ)

संख्या 13017/34/2007-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 7 मार्च, 2011

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13017/34/2007-अभासे(I) दिनांक 15.01.2007 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है -

- (i) अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर श्री सौरभ जैन, भा.प्र.से.(केरल.02) के उत्तराखण्ड से अपने मूल संवर्ग में समय पूर्व प्रत्यावर्तन हेतु कार्यांतर अनुमोदन ।
- (ii) दिनांक 14.10.2010 से अपने मूल संवर्ग में वापस कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि को उत्तराखण्ड सरकार के साथ "तैनाती हेतु प्रतीक्षा" माना जाए और उत्तराखण्ड सरकार इस अवधि का वेतन और यथा अनुमत्य भत्तों का भुगतान करेगी ।
- (iii) दिनांक 14.10.2010 से एसीसी आदेशों की तारीख तक की उपर्युक्त अवधि को आगे की प्रतिनियुक्ति हेतु "उपशमन अवधि" (कूलिंग ऑफ़) माना जाएगा ।

2 इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया जाता है कि अधिकारी 25.2.2011 से 15 दिनों के अंदर अपने मूल संवर्ग में पुनः कार्यभार ग्रहण कर लें ।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23093063

सेवा में,


प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अद्योषित :-

1. मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार को पत्र सं. 168-जी 1(1)/तीस-1-2010, दिनांक 6.9.2010 के संदर्भ में ।
3. महालेखाकार, केरल, तिरुवनंतपुरम ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. श्री सौरभ जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा को मुख्य सचिव, केरल सरकार के माध्यम से ।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर, केरल, डी-1/24, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली-110003.
7. उप सचिव (एसएम) को कार्यालय जापन संख्या 37/43/2007-ईओ(एसएम-1) दिनांक 25.2.2011 के संदर्भ में ।


(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

आंतरिक वितरण :-

अ.भा.से. (II)/अ.भा.से. (III)/अ.अधि. (सी.एम)/ई.ओ. (पी.आर.)/ई.ओ. (एस.एम-1)/एन.आइ. सी (अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)